पचवली राजस्व लोक अदालत कैम्प ग्राम पं० बोन में पेश हुए आवेदक व अनावेदकगण उपस्थित उपस्थित पक्षकारान को सुनकर आवेदक का जि० ज० अ० धारा 251क रा० क० अधिनियम धारीत किया जाता है जिसकी निर्धारित अवधि के लिए प्रतिवादी 300 रु० लिया जाता पचवली मैदान कैम्प के कब्जे तथा कब्ज तकरीन कार्यालय जाता दाखिल दफ्तर की निर्धारित आज दि० 18.5.18 को मेरे दिल्ली में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
करौली